न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– **39/2017**
आर.सी.एम.एस. :– **2017/00073**
दायर तिथि :– **14.06.2017**
तारीख निर्णय :– **04.02.2020**

वादी :–
मानसिंह पुत्र नरसिंह
जाति – पुरोहित, निवासी – नेतरा
तहसील – सुमेरपुर (पाली)

बनाम

प्रतिवादी :–
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं सपठित धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :–
1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतराम सोलंकी उपस्थित
2. प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय सुमेरपुर उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 04.02.2020

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित गत खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि दिनांक 01.05.1986 को राजस्व अभियान कार्यक्रम कैम्प नेतरा में वादी को आवंटित हुई थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया। सन् 1986 से उपरोक्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी का शान्तिपूर्ण चला आ रहा है।

(2) राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। वादी ने आवंटन की शर्तों की पालना करते हुये आरक्षित मूल्य, सनद फीस ब्याज सहित 1991 में रूपये 1342/– (एक हजार तीन सौ बयालीस रूपये) राज्य सरकार में जरिये रसीद सं. 40 संदत्त किये है।

(3) ग्राम नेतरा के गत खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नं. 90 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 119 रकबा 8.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 121 रकबा 0.84 हैक्टेयर बने है। राजस्व अधिकारियों तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग ने वादी की आवंटित भूमि का इन्द्राज भू अभिलेख अधिकारों में इन्द्राज नहीं किया। मौके पर वादी की आवंटित भूमि पर बाड़ की हुयी है तथा अन्दर ईटें, पत्थर, लकडियां पडी हुयी है।

(4) प्रतिवादी की प्रतिनिधि हल्का पटवारी नेतरा ने वादी को धमकी दी गयी कि तुम्हारा कब्जा हटा देंगे तथा अन्य लोगों को भूमि लोक अदालत कैम्प नेतरा में आवंटित करेंगे, जबकि उक्त भूमि वादी को सन् 1986 में आवंटित हो चुकी है, तब से कब्जा काश्त वादी का मौके पर चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दोषपूर्ण तरीके राजस्व रेकर्ड वादी की आवंटित भूमि को राजकीय भूमि इन्द्राज की हुयी है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वादी की ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील वादी ने शहादत के रूप में उखण्ड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 01.05.1986 के आवंटन की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत् 2029–2032, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि, गत नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस एवं हाल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। प्रतविादी की ओर से पटवारी हल्का नेतरा श्री दिनेश कुमार, भू.अ.नि. बांकली व नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसको पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य – दस्तावेज एवं तत्कालीन पटवारी नेतरा श्री दिनेश कुमार के बयान अनुसार वादग्रस्त आराजी दिनांक 01.05.1986 को उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा वादीगण को आवंटन हो चुकी है। हाल खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 45 मीन से बने है। आवंटन आदेश दिनांक 01.05.1986 किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुआ है। आवंटन का नामान्तरकरण के अधिकार राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबन्ध विभाग को थे, किन्तु वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटनशुदा भूमि है तथा आवंटन आदेश का राजस्व रेकर्ड में अभल

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

दरामद नहीं होने से वादीगण को अतिक्रमी माना जा रहा है। सबूत में वादी ने वर्ष 2075 व 2076 के अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण को उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 01.05.1986 को आवंटित कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है एवं उक्त आवंटन आदेश आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है, आवंटन आदेश आज भी प्रभावी है, एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड एवं दस्तावजों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित होता है कि वादी को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारीजी बाली द्वारा आवंटन आदेश अनुसार ग्राम नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर भूमि में से 0.80 हैक्टेयर भूमि का राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वक्त आवंटन से वादीगण का लगतार कब्जा आवंटितशुदा भूमि में से 0.6450 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा होना प्रमाणित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 91 रकबा 0.6450 हैक्टेयर बाबत वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार करने एवं डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। वादी को विवादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नेतरा के खसरा नं. 91 रकबा 0.6450 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डी. एल.सी. का 10 प्रतिशत राशि वसूल कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नेतरा माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें साथ ही प्रतिवादी या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलन्दाजी नहीं करें इस अमर की निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: